नहीं हैं । सभी चाहते हैं कि हड़तालो शिक्षक हड़ताल वापस लें, इस हेतु विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा भी हड़तालो शिक्षकों का काम पर आने की अपील की गई है और उस का परिणाम अभी तक प्राय. नगण्य है । ऐसी दशा में समय से पूर्व योग्य कदम उठाना आवश्यक है जिस से कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर बुरा असर न पड़े । मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी शीघ्र ही उचित कदम उठायेंगे ।

(v) REPORTED NON-PAYMENT OF SALARY TO THE STAFF BY MESSRS. ARMSTRONG SMITH LTD., CALCUTTA

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Sir, the Chairman of the Board of Directors and Branch Incharge of Calcutta Office of Armstrong Smith Ltd., a subsidiary holding company of Belapur Sugar and Allied Industries with its head office at 12/14, Veer Nariman Road, Bombay, has stopped payment of salaries to the staff at their Calcutta office for several months. It has therefore, become very difficult for the employees to maintain their very existence in these hard days. The families of these employees and workers are practically on the verge of starvation. Mismanagement and malpractices prevalent in the administration are responsible for this critical situation. The conspiracy started from last December against the employees although the employees are ready to cooperate with the management and are ready to work hard for the smooth functioning of the Company. The Managing Director of this Company assured in last January that the Company would take appropriate steps for the smooth running of the Company and also to release the salaries of the employees, but so far nothing has been done. On the contrary, it is feared that the Company might be closed and the workers thrown on the streets to starve along with their family members.

I would, therefore, request the Minister to intervene effectively in the matter and make a statement on the floor of the House to allay the fears lurking in the minds of the workers and save them from further starvation.

(vi) REPORTED ATTACK BY CERTAIN ARMED PEOPLE ON NEO-BUDDHISTS IN A VILLAGE IN AURANGABAD DISTRICT OF MAHARASHTRA

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड) सदर साहब, मैं रूल 377 के द्वारा लोक-महत्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न आप की अनुमति से यहां पर इन्साफ के लिए उठा रहा हूं ।

महाराष्ट्र के मराठवाडा विभाग में औरंगाबाद जिले के अंबल ताल्लुके में ढाकेफल गांव में तारीख 6-4-79 को नवबौद्ध समाज पर हथियारबंद लोगों ने लाठी-काठी शस्त्रों से खुलेआम हमला करके दो नव-बौद्ध लोगों को मार डाला है और कई लोग घायल हुए है । यह भीषण हमला होने से दलित और बौद्ध समाज में घबडाहट फैल गई है । नव-बौद्ध समाज को संरक्षण देने में शासन असमर्थ रहा है । परिस्थिति विस्फोटक है । नव-बौद्ध समाज में असंतोष फैला हुआ है । मैं माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे नव-बौद्ध दलित समाज को संरक्षण देने में फौरन कार्यवाही करके इन्साफ दें ।

जय क्रान्ति ।

(vii) REPORTED REFUSAL BY MADHYA PRADESH GOVERNMENT TO ACCEPT A C.B.I. ENQUIRY INTO ALLEGED COLLECTION OF FUNDS FROM INDUSTRIALISTS IN MADHYA PRADESH AS SUGGESTED BY MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

श्री ब्रजभूषण तिवारी (बलीलाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोकमहत्व के विषय पर अपना बयान पढ़ता हूं :

तारीख 7 अप्रैल, 1979 दिन शनिवार को स्टेट्समैन, नई दिल्ली में प्रकाशित एक

[श्री बृज भूषण तिवारी]

समाचार से यह ज्ञात होता है कि माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक मंत्री, नागर विमानन एवं पर्यटन, भारत सरकार ने अपने तथा पद के सम्मान एवं मर्यादा की रक्षा के लिये तथा जन मानस से किसी प्रकार की भ्रान्ति न हो इसके लिये जो केन्द्रीय जांच ब्यौरो को मांग की थी, उसको मध्यप्रदेश की सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है। इस प्रकाशित समाचार के अनुसार श्री संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मंत्री महोदय के नाम का उपयोग कर बहुत सी धनराशि इकट्ठा करने का प्रयत्न किया था या इकट्ठा किया भी था, ऐसा अभियोग उस पर लगाया गया है। मामले की पुष्टि के लिए मंत्री महोदय के लेटरहेड आदि की चर्चा की गई है और यह भी कहा गया है कि अभियुक्त ने ऐसा वक्तव्य पुलिस को दिया था, जिस का उसने बाद में खण्डन किया, जिससे मंत्री महोदय के ऊपर कलंक या लांछन की छाया पड़ती है। भारत सरकार के किसी मंत्री के ऊपर लांछन सारे सदन एवं देश के लिए विचारणीय विषय बन जाता है और अगर मंत्री महोदय ने स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का सुझाव दिया था तो यह सरकार, सदन एवं हमारी परम्पराओं की गरिमा के अनुरूप था, जिसको प्रदेश की सरकार को अनिवार्यतः मान लेना चाहिए था। मैं समझता हूं कि सारा सदन मंत्री महोदय के सुझाव की सराहना करेगा और साथ ही साथ सरकार से आग्रह करेगा कि वह दृढ़ता पूर्वक मंत्री महोदय के सुझाव को मानने के लिए राज्य सरकार को सलाह दे। यह हर प्रकार से सार्वजनिक महत्व का विषय है अतः सरकार शीघ्र इस पर कोई वक्तव्य देकर स्थिति को साफ करे।

—

14.31 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80—*Contd.*

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION—*contd.*

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन बक्सर कोइलवर तटबंध परियोजना की चर्चा कर रहा था। यह परियोजना 107 किलोमीटर लम्बी, गंगा नदी के दाए छोर पर चल रही है। इस से 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। पांच वर्षों के अन्दर, यानी 1978 तक इस स्कीम को पूरा हो जाना चाहिए था, किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक इस में एक चौथाई भी काम नहीं हो पाया है। इस इलाके को हर वर्ष बाढ़ से 40-45 करोड़ रुपये की क्षति होती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि एक-दो वर्षों के अन्दर इस को पूरा कर दे ताकि लोगों को शीघ्र फायदा पहुंच सके और वहां काफी मात्रा में उपज हो सके।

इस इलाके में जहां बांध बन रहा है, वहां सिंचाई का अभाव हो जाएगा। इसलिए सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि इस गंगा नदी में जो अथाह जल प्रवाहित हो रहा है उसका सदुपयोग किया जाए। बक्सर से कोइलवर, फिर मनेर से पटना तक तटबंध बनाया जा रहा है। गंगा और रेलवे लाइन के बीच की भूमि में गंगा नदी से हाई पावर पंपिंग सेट लगा कर पानी लिया जा सकता है और वहां अच्छी सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कोई समुचित और शीघ्र व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फसल बीमा के बारे में कहना चाहता हूं। जब तक फसल बीमा की योजना लागू नहीं होती है तब तक किसानों की अपार क्षति होती रहेगी। इस वर्ष भी उत्तर भारत में आलू, चना, अरहर, मसूर को वर्षा ओले एवं लाही से काफी क्षति हुई है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसानों को लाभ पहुंचाने का और क्या उपाय बच जाता है? यही उपाय है कि फसल बीमा लागू हो और शीघ्र लागू हो। खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से इसके संबंध में बातचीत कर रही है। यह भी खुशी की बात है कि [illegible] राष्ट्